PHONE & FAX NO:- 07857-255625 &255624(O)

# कार्यालय प्राचार्य – शासकीय अरविन्द महाविद्यालय

किरन्दुल , जिला – दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ.ग.) 494556

E-mail : govtcollegekirandul36@gmail.com

## आचरण संहिता

### सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन ना करने पर शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभुषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगाएगा साथ ही ममहाविद्यालय द्वारा पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में में वह शालीन व्यहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली गलौच, मारपीट या अग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों अधिकारियों एंव कर्मचारियों से नम्रता एंव भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है वह सरल निव्यसर और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसभी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवारों को गंदा करना या गंदी बाते लिखना सख्त मना है । विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिसां या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगल राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा। महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

### अध्ययन संबंधी नियम–

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन. सी.सी. / एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी से करेगा।उनको स्वच्छ रखेगा और प्रयोगशाला को भी स्वच्छ रखेगा।
3. ग्रथांलय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाए जाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।

4. अध्ययन से सम्बधित किसी भी कठिनाई के लिए गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वायनालय में पंखें लाईट फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जाएगा।

**परीक्षा संबंधी नियम–**

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाले सभी इकाई परीक्षाओं त्रैयमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थ्यतावश आन्तरिक परीक्षाओं में सम्मिलित ना होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ्य होने पर परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जाएगा।

**महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्रः–**

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा पर शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जाएगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थनापत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जाएगा।

   महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेगें।

**विशेष –**

1. महाविद्यालय में उत्पन्न किसी भी समस्या के मामले पर प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
2. प्रवेश के नियमों में छ.ग. शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार परिवर्तन यिका जा सकता है।

---

प्राचार्य
शा. अरविन्द महाविद्यालय
किरन्दुल, जिला दन्तेवाड़ा (छ.ग.)